**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**

**प्रेस–विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 16–08–2022

**दिनांक 15/16–08–2022 को रात्रि थाना बंथरा 02, इंदिरानगर 01, सैरपुर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**डी0सी0पी0 मध्य**

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।**

**थाना आलमबाग**–दिनांक 15.08.2022 को एस0आई0 श्री अर्जुन राजपूत थाना आलमबाग द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–मो0 आजाद उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र मो0 ईशाक निवासी–555ख/187/3 कनौसी थाना कृष्णानगर, लखनऊ 02–अमन वर्मा उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र धनन्जय प्रसाद निवासी–ओशोनगर कनौसी थाना कृष्णानगर, लखनऊ को लंगड़ा फाटक ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे क्रासिंग के पास धोबीघाट थाना कृष्णानगर से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से क्रमशः 05–05 ली0 प्लास्टिक की पिपिया में (कुल 10 ली0) अवैध कच्ची शराब व 15 अदद देशी पौवा 180 एमएल बरामद कर थाना आलमबाग पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**भा0द0वि0**

**थाना मोहनलालगंज**–दिनांक 16.08.2022 को थाना मोहनलालगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री मो0 सिराज पुत्र मो0 कलाम निवासी–ग्राम दहियर थाना मोहनलालगंज ने थाना मोहनलालगंज पर सूचना दिया कि वादी दैनिक समाचार पत्र का संवाददाता है। दिनांक 15.08.2022 को समय करीब 09.00 बजे वादी अपने घर पर मौजूद था कि तभी गांव के रहने वाले अनोज रावत उर्फ लोधी पुत्र पुत्तीलाल रावत वादी के घर के सामने नाम व जातिसूचक गाली गलौज करने लगा, मना करने पर जबरन घर में घुसकर वादी से मारपीट करने लगा तथा जब वादी ने घर से बाहर जाने के लिए कहा तो विपक्षी उपरोक्त ने हाथ में ली हुई लोहे की राड से वादी को मारने लगा। और उस लोहे की राड से वादी की आंख फोड़ने का प्रयास किया परन्तु वादी द्वारा बचाव करने पर लोहे की राड वादी की दोनों आंखों के बीच माथे पर लग गया और खून बहने लगा व वादी को कुछ अन्दरूनी चोंटें भी आयीं हैं। शोर शराबा सुनकर मोहल्ले वाले लोग जब बीच बचाव करने पहुंचे तब अनोज रावत उर्फ लोधी रावत उपरोक्त वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। जिससे वादी व वादी के परिवार को अनोज रावत उर्फ लोधी रावत से जान का खतरा है। अनोज रावत एक दंबग व शराबी किस्म का आपराधिक व्यक्ति है। इससे पूर्व भी विपक्षी उपरोक्त पर कई मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। **इस सूचना पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0 404/2022 धारा 452/323/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।** जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री प्रेम लाल सिंह थाना मोहनलालगंज द्वारा की जा रही है।